

अनुलग्न "स"

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सिविल न्यायालय नागौद,
जिला सतना म.प्र.

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सिविल न्यायालय नागौद जिला सतना के परिसर में स्थित कैंटीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख जिला न्यायालय सतना की वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/satna> एवं www.mphe.gov.in पर टेण्डर के कालम में उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्ति/कंपनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 25.08.2023. तक सायं 05:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में नजारत अनुभाग सिविल न्यायालय नागौद में जमा कर सकते हैं।

निविदा दिनांक 26.08.2023.को दोपहर 11:00 बजे स्थापना में गठित कमेटी एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिये संसूचित कर सकते हैं, किंतु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गई आपत्ति पर विचार नहीं किय जायेगा।



प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग,
सिविल न्यायालय नागौद
जिला सतना म.प्र.

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, सिविल न्यायालय
नागौद, जिला सतना म.प्र.

नागौद, दिनांक 13.07.2023

क्रमांक /
प्रति, /2023

प्रभारी अधिकारी,
(कम्प्यूटर अनुभाग)
जिला सतना म.प्र.

विषय :- निविदा आमंत्रण सूचना का जिला न्यायालय सतना की वेबसाईट
<https://districts.ecourts.gov.in/satna> एवं www.mphc.gov.in पर प्रकाशन
कराये जाने बावत्।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तहसील सिविल न्यायालय के परिसर में
कैंटीन संचालन हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार
निविदा आमंत्रण की संलग्न सूचना जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की
आधिकारिक वेबसाईट के टेण्डर हेड में प्रकाशन हेतु प्रेषित है, तदनुसार संबंधित को
निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- निविदा आमंत्रण की सूचना।



(आनन्द प्रिय राहुल)
अध्यक्ष (निर्माण समिति)
प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)

अनुलग्न - "अ"

कैंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

-:: निविदा फार्म ::-

प्रथम पक्ष :-

निविदाकर्ता

का नाम

पता

मोबाइल नम्बर

किस स्थान पर कैंटीन का
संचालन करना चाहते हैं।

नागौद :-

द्वितीय पक्ष :-

जिला रजिस्ट्रार

कार्यालय - जिला एवं सत्र न्यायालय सतना म.प्र.

व्यवहार न्यायालय नागौद स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

!! निर्धारित शर्तें !!

1. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं दिनांक 25.08.2023 के सायंकाल 05:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। इसके पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. अनुज्ञा शुल्क नागौद स्थित कैंटीन हेतु रुपये 8,206/- प्रतिमाह की दर से कलेक्टर रेट अनुसार निर्धारित होगा, जो प्रथम पक्ष अनुबंध निष्पादन के पूर्व वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु $8,206 \times 12 = 98,477/-$ रुपये में से 49,238/- रुपये की राशि 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में द्वितीय पक्ष को अदा करेंगे और 49,239/- रुपये की राशि अनुबंध प्रारंभ होने के तीन माह उपरान्त अदा करें।
3. निविदाकर्ता एवं द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई, उस राशि के अतिरिक्त उस राशि पर 10 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से द्वितीय पक्ष को अदा करनी होगी एवं अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्तानुसार तहसील

नागौद स्थित केंटीन हेतु एक मुश्त जमा करनी होगी। केंटीन संचालन हेतु अतिरिक्त रूप से एक वर्ष की वृद्धि चाहने पर निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्त होने के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

4. केंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन का संचालन बन्द किया जाता है तो निविदाकर्ता को उसके द्वारा जमा की गई कोई राशि लौटायी नहीं जावेगी।

5. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) की अमानत राशि जिला न्यायाधीश, सतना को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जायेगा, किंतु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि निविदाकर्ता और जिला न्यायाधीश सतना के संयुक्त नाम की बैंक एफ.डी. के रूप में अमानत राशि के रूप में जमा रखी जायेगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा सम्पूत की जा सकेगी।

6. सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर प्रथम पक्ष को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज प्रथम पक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7. केंटीन के संचालन हेतु आमंत्रित 12 माह की निविदा समयावधि हेतु न्यूनतम राशि 1,00,000/- रूपये (अंकन एक लाख रूपये) से कम की राशि मान्य नहीं होगी।

8. प्रथम पक्ष द्वारा केंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिए राशि रूपये अक्षरी की अधिकतम बोली प्रस्तावित की जाती है।

9. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक छः माह पूर्ण होने के 15 दिवस पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा।

10. अधिकतम बोली की प्रस्तावित की गई राशि अंतिम होने की स्थिति में केंटीन संचालन के पूर्व वार्षिक अग्रिम के रूप में अदा करना होगी, अन्यथा निविदा शर्तों का उल्लंघन होने से अनुबंध निरस्त किया जाकर प्रथम पक्ष को केंटीन संचालन हेतु रोक दिया जावेगा।

11. अनुबंध की शर्तों का प्रथम पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन हित में राजसात की जा सकेगी। जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

12. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसका निविदाकर्ता

को पालन करना अनिवार्य होगा।

13. कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार विवाद होने पर, विवाद का निराकरण प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा, जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

14. निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

15. निविदाकर्ता कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरुद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा एवं विधि द्वारा प्रतिषेधित उत्पाद कैंटीन में विक्रय नहीं करें और न ही किसी अन्य को कैंटीन परिसर में उसके उपयोग की अनुमति देगा, अन्यथा निविदाकर्ता के विरुद्ध विधिवत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

16. प्रथम पक्ष या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु कैंटीन परिसर का उपयोग नहीं करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

17. समय-समय पर द्वितीय पक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैंटीन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

18. निविदाकर्ता कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में एवं समय-समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसरों पर कैंटीन का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

19. निविदाकर्ता कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हे आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण / सरंचना नहीं किया जायेगा। निविदाकर्ता द्वारा कैंटीन संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायालय को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हों। किन्ही कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो निविदाकर्ता अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

20. निविदाकर्ता कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधि जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

21. निविदाकर्ता कैंटीन का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

22. निविदाकर्ता कैंटीन का विविध अनुसार नगर पालिक निगम में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के "करो" का भुगतान करेगा।

23. क्रमांक 15, 16 एवं 17 से संबंधित उल्लंघन के संबंध में या अन्यथा किसी भी आपराधिक कृत्य हेतु उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष उसके लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

24. निविदाकर्ता द्वारा सामग्री विक्रय की दरें द्वितीय पक्ष से अनुमोदित करवाई जायेगी

तथा अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खद्य सामग्री विक्रय की जावेगी। निविदाकर्ता न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण को (ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़कर) अनुमोदित दरों से 20 (बीस) प्रतिशत कम मूल्य पर खद्य सामग्री विक्रय करेगा।

25. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर के सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी प्रथम पक्ष का होगा।

26. निविदाकर्ता कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस एक सौ रूपये की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

27. निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रूपये 500/- प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

28. कैंटीन के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

29. भवन के नक्शे में चिन्हित स्थान का भाग कैंटीन संचालन हेतु दिया जावेगा। निविदाकर्ता निविदा फार्म जमा करने से पूर्व कैंटीन के स्थान का अवलोकन आवश्यक रूप से कर लें।

30. कैंटीन प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित समय सामान्यतः प्रातः 08:00 बजे से सायंकाल 06:30 बजे तक ही चलायी जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

31. अनुबंध अवधि में विद्युत तथा जल संयोजन हेतु अनुमति पक्ष क्रमांक 3 द्वारा नियमानुसार दी जा सकेगी, जिसका व्यय निविदाकर्ता को ही वहन करना होगा।

32. सफल निविदाकर्ता द्वारा 'कैंटीन परिसर' स्वयं के व्यय पर रंगरोगन, मरम्मत, फर्नीशिंग आदि कार्य समय-समय पर किया जावेगा।

33. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

34. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जायेगा।

35. समिति द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/ विवाद करने वाले या अन्यथा अभिभाषकों/ न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा/ उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकेगा/ निविदा निरस्त की जा सकेगी।

36. कार्यालय जिला न्यायालय, सतना द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित /परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

37. सफल निविदाकर्ता प्रत्येक तीन माह में कैंटीन ऐरिया में रंग-रोगन करेंगे।


निविदाएं दिनांक 26.08.2023 को सायंकाल 11:00 बजे कमेटी द्वारा खोली जावेगी,


जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।
मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।


हस्ताक्षर
निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

संलग्न :- 1. कैंटीन संचालन हेतु दर की सूची।
2. कैंटीन नक्शा।


(अजय कुमार चौहान)
सदस्य
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)


(सचिन शर्मा)
सदस्य
प्रथम जिला न्यायाधीश नागौद
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)


(आनन्द प्रिय राहुल)
अध्यक्ष (निर्माण समिति)
प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)


अनुलग्न - "ब"

केंटीन संचालन हेतु दर


क0	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा/तादाद	कीमत	रिमार्क
1.	चाय	प्रति कप 50 मि.ली.	5 रूपये	
2.	काफी	प्रति कप 50 मि.ली.	10 रूपये	
3.	आलूबण्डा	प्रति नग 50 ग्राम	7 रूपये	
4.	समोसा एवं भाजीबड़ा	प्रति नग 50 ग्राम	7 रूपये	
5.	कचौरी	प्रति नग 50 ग्राम	10 रूपये	
6.	इडली/सांभर/दहीबड़ा	1. प्रति नग वजन 50 ग्राम 2. इडली प्रति नग वजन 50 ग्राम, 2 बड़ा	20 रूपये	
7.	पोहा	प्रति प्लेट 100 ग्राम	10 रूपये	
8.	भजिया/ मगौड़ी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रूपये	
9.	जलेबी	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रूपये	
10.	बालूशाही / गुलाब जामुन	प्रति प्लेट 80 ग्राम	10 रूपये	
11.	लड्डू (बूंदी एवं मगज)	प्रति प्लेट 60 ग्राम	7 रूपये	
12.	दोपहर का भोजन 1. सब्जी एक 2. दाल, चावल 3. रोटी चार	प्रति थाली कुल वजन 400 ग्राम लगभग	50 रूपये	
13.	सब्जी एक, 6 पूड़ी	प्रति पैकेट 200 ग्राम	25 रूपये	
14.	लरसी	प्रति गिलास 200 मि.ली.	20 रूपये	
15.	सलौनी	60 ग्राम	10 रूपये	
16.	बूंदी	60 ग्राम	10 रूपये	
17.	रसगुल्ला	प्रतिनग 60 ग्राम	10 रूपये	
18.	छांछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.	10 रूपये	
19.	पानी बॉटल	एक लीटर	प्रिंट रेट	
20.	खोवा जलेबी	प्रतिनग 60 ग्राम	10 रूपये	

उक्त सामग्रियों के अलावा प्रथम पक्ष/कंटीन संचालक कंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से कीमत निर्धारित की गई है उसे वह निर्धारित दर पर विक्रय कर सकेगा।


प्रथम पक्ष अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख उक्त सूची में नहीं है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य सामग्री का मूल्य जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा निर्धारित किये जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।


(अजय कुमार चौहान)
सदस्य

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)


(सचिन शर्मा)
सदस्य

प्रथम जिला न्यायाधीश नागौद
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)


(आनन्द प्रिय राहुल)
अध्यक्ष (निर्माण समिति)
प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग
नागौद, जिला सतना (म0प्र0)